"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2006 — आषाढ़ 20, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-75/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1314.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत परपोड़ी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कमला कांत को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-97/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1315.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत नारायणपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती विमला नेताम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-97/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1316.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत नारायणपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती मौलश्री पात्र को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-97/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1317.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत नारायणपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती सुकदास को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-06/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1318.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत तखतपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जनक ताम्रकार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-06/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1319.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत तखतपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भेचेन्द्र पाण्डेय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-06/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1320.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत तखतपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भोला सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-06/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1321.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत तखतपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री मो. यासीन "कल्लू" को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-02/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1322.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् मुंगेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जयकरण सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.